न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 19 सन 2020
अनवान :–

1. कालूराम पुत्र रामकिशन जाति बावरी निवासी चक 7 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. गुरदीप पुत्र रामकिशन जाति बावरी निवासी चक 7 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. सुरसती पुत्री रामकिशन जाति बावरी निवासी चक 7 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री मागीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 01/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 450/443 के खसरा न0 365/2 की 2.7820हैक खसरा न0 400 की 6.8290हैक व खसरा न0 401/1 की 3.5410हैक कुल 13.1520हैक भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 –1/2 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालुराम उर्फ श्रवण कुमार व प्रार्थी संख्या 2 का नाम कुलदीप व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम सुरती दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण का सही नाम प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालुराम प्रार्थी संख्या 2 का नाम गुरदीप एवं तरीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरसती है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में प्रार्थीगण का नाम कालुराम , गुरदीप, सुरसती दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है प्रार्थीगण ने अपने नामों के सम्बध में संरपच ग्राम पंचायत निरवाल का प्रमाण पत्र/रिपोर्ट पेश की गई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 450/443 के खसरा न0 365/2 की 2.7820हैक खसरा न0 400 की 6.8290हैक व खसरा न0 401/1 की 3.5410हैक कुल 13.1520हैक भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 –1/2 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा भूमि में प्रार्थीगण का नाम कालुराम उर्फ श्रवण कुमार के स्थान पर कालुराम , कुलदीप के स्थान पर गुरदीप एवं सुरती के स्थान पर सुरसती संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 450/443 के खसरा न0 365/2 की 2.7820हैक्‍ खसरा न0 400 की 6.8290हैक्‍ व खसरा न0 401/1 की 3.5410हैक्‍ कुल 13.1520हैक्‍ भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 –1/2 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालुराम उर्फ श्रवण कुमार व प्रार्थी संख्या 2 का नाम कुलदीप व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का नाम सुरती दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण का सही नाम प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालुराम प्रार्थी संख्या 2 का नाम गुरदीप एवं तरीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरसती है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में प्रार्थीगण का नाम कालुराम , गुरदीप, सुरसती दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 450/443 के खसरा न0 365/2 की 2.7820हैक्‍ खसरा न0 400 की 6.8290हैक्‍ व खसरा न0 401/1 की 3.5410हैक्‍ कुल 13.1520हैक्‍ भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 –1/2 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी संख्या का नाम कालुराम उर्फ श्रवण कुमार प्रार्थी संख्या 2 का नाम कुलदीप व प्रार्थी संख्या 3 का नाम सुरती दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम कालुराम , कुलीदीप सुरसती है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में प्रार्थीगण का नाम कालुराम , कुलीदीप सुरसती दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में कालुराम उर्फ श्रवण कुमार दर्ज है अर्थात उफ लगाकर नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया गया है जो किसी आदेश से ही दर्ज होना प्रतित होता है इस सम्बध में प्रार्थीगण ने कोई स्पष्ट दस्तावेजात भी पेश नही किये गये है मात्र कथनो कें आधार पर नाम संशोधन नही किया जा सकता है।

प्रार्थी संख्या 2 एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम उच्चारण के कारण राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज होना प्रतित होता है जो साक्ष्य सबुतों के आधार पर संशोधन योग्य है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 450/443 के खसरा न0 365/2 की 2.7820हैक्ट खसरा न0 400 की 6.8290हैक्ट व खसरा न0 401/1 की 3.5410हैक्ट कुल 13.1520हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 –1/2 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा में प्रार्थी संख्या 2 का नाम कुलदीप एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरती अंकित है के स्थान पर प्रार्थी संख्या 2 का नाम गुरदीप उर्फ कुलदीप एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरसती उर्फ सुरती संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 1|3|21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/ दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 19/2020 अनवानी कालुराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. कालूराम पुत्र रामकिशन जाति बावरी निवासी चक 7 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. गुरदीप पुत्र रामकिशन जाति बावरी निवासी चक 7 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2 सुरसती पुत्री रामकिशन जाति बावरी निवासी चक 7 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 19/2020 अनवानी कालुराम बनाम सरकार में दिनांक 01/03/21 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 450/443 के खसरा न0 365/2 की 2.7820हैक खसरा न0 400 की 6.8290हैक व खसरा न0 401/1 की 3.5410हैक कुल 13.1520हैक भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 –1/2 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा में प्रार्थी संख्या 2 का नाम कुलदीप एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरती अंकित है के स्थान पर प्रार्थी संख्या 2 का नाम गुरदीप उर्फ कुलदीप एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम सुरसती उर्फ सुरती संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)